...यालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न.

सरकार बनाम श्रीः-रामसिंह
S/o हीराचन्द
जातिमीना नि॰पाडली

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 25/06/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रामसिंह पुत्र श्री-हीराचन्द जाति मीना की निवासी पाडली-- तहसील महवा ने संवत 20-- फसल रबि / खरीफ मे ग्राम पाडली राजकीय आराजी खसरा नं. 496 रकबा 5.02 किस्म चारागाह भूमि से 0.03 रकबा पर अनाधिकृत रूप से-- कब्जा कर अतिचार कर लिया है।
टीनशेड, पक्का कमरा एवं झोपडी बाडा

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.24 का 50 गुना 12 रू राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी, हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

नायब तहसीलदार
महवा जिला दौसा